

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:-भू.अ./2016/

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गहोदय  
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री.....डू डू डी वार पिता दशराम अहीर नि.....

पुरीदितो का सातपह प.ह. 202/426 के राजस्व ग्राम पु.का.सो.पता में जमाबन्दी संवत.....  
की खाता संख्या 203 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

2078-208 ने सम्मानजनक जाति/नाम.....डू डी वार किये जाने की रिपोर्ट की है।

सम्मानजनक जाति/नाम.....डू डी वार का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना

उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रीडर/2016/ 1055

दिनांक:- / / 2016

निमित्त,

पटवार हल्का.....202/426

18/12/25

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री डू डी वार पिता दशराम अहीर  
राजस्व ग्राम पुरीदितो का सातपह प.ह. 202/426 की खाता संख्या 203 में  
जाति/नाम.....डू डी दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व  
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम  
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री डू डी वार पिता दशराम अहीर  
जाति/नाम.....डू डी वार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज  
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. 202/426 राजस्व रिकार्ड में  
उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ

। प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौडगढ